

राज्य की नीति के निदेशक तत्व / Directive Principles of State Policy

➤ महत्व / Importance –

- लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
To establish a public welfare state.
- आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
Establishment of economic and social democracy.
- सरकार की अधिकतर कल्याणकारी योजनाएँ इन पर आधारित होती हैं।
Most of the welfare schemes of the government are based on these
- DPSP में संविधान का दर्शन निहित होता है।
The philosophy of the Constitution is contained in the DPSP.
- निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन हैं।
The Directive Principles are the soul and philosophy of the Constitution.

मूल अधिकार / Fundamental Rights	राज्य की नीति के निदेशक तत्व Directive Principles of State Policy
● व्यक्ति को प्राप्त अधिकार Rights of the individual	राज्य को प्राप्त अधिकार Rights of the state
● प्रकृति – नकारात्मक Nature - Negative	प्रकृति – सकारात्मक Nature - Positive
● भाग – 3 / Part - 3	भाग – 4 / Part - 4
● प्रभावित – USA Inspired - USA	प्रभावित – आयरलैण्ड Inspired - Ireland
● अनुच्छेद – 12–35 Articles - 12-35	अनुच्छेद – 36–51 Articles - 36-51
● न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। (अनु. 32) Enforceable by the court. (Article 32)	न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। (अनु. 37) Not enforceable by the court. (Article 37)
● संविधान के लागू होते ही लागू हो गए came into force as soon as the Constitution came into force	यह एक सुझाव है। संविधान के लागू होने पर लागू नहीं हुए इनको संसद विधि बनाकर लागू करती है। This is a suggestion. Parliament makes laws to implement those which were not implemented when the Constitution was enacted.
● उद्देश्य – राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना Objective - To establish political democracy.	आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। To establish economic and social democracy.
● व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। It promotes individual welfare.	समाज कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। It promotes social welfare.
● ये व्यक्ति विशेष की भलाई के लिए है।	ये समाज की भलाई के लिए है।

<ul style="list-style-type: none"> These are for the welfare of a particular person. 	These are for the welfare of the society.
<ul style="list-style-type: none"> इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाये जा सकते हैं। Reasonable restrictions can be imposed on them. 	नीति निदेशक तत्व ऐसे प्रतिबंधों से मुक्त है। Directive Principles are free from such restrictions.
<ul style="list-style-type: none"> मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। Fundamental Rights can be suspended during an emergency. 	नीति निदेशक तत्व सामान्य और आपात दोनों स्थितियों में बने रहते हैं। Directive Principles remain in force in both normal and emergency situations.

• **Key Points :**

36	राज्य की परिभाषा Definition of State	40	पंचायतें Panchayats	43(B)	सहकारी समितियाँ Co-operative Societies	48	कृषि Agriculture
37	न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं Not enforceable by Court	41	कुछ दशाएँ Some conditions	44	समान नागरिक संहिता Uniform Civil Code	48(A)	वन्य जीव Wildlife
38	लोक कल्याण Public welfare	42	काम Work	45	6 वर्ष 6 years	49	स्थान place
39	राज्य अनुसरणीय कुछ नीति तत्व Certain principle of policy to be followed by the State	43	निर्वाह योग्य मजदूरी living Wages	46	SC/ST	50	पृथक् separate
39(A)	निःशुल्क कानूनी सहायता Free legal aid	43(A)	प्रबंधन Management	47	जीवन स्तर Living Standard	51	अन्तर्राष्ट्रीय शांति International peace

➤ **अनुच्छेद / Article – 36**

- DPSP के संदर्भ में राज्य की परिभाषा
Definition of the State in the context of DPSP

➤ **अनुच्छेद / Article – 37**

- DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
DPSP is not enforceable by the court.
- लेकिन देश के शासन में मूलभूत है।
But it is fundamental in the governance of the country.
- राज्य जब भी कोई विधि बनाएगा तो इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

Whenever the State makes any law, it shall be the duty of the State to implement these principles.

- **अनुच्छेद 38** – राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा।

Article 38 - The State shall secure a social order for promoting the welfare of the people.

- **अनुच्छेद / Article 38(1)**

- राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक संस्था को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो।

The State shall establish such social order which ensures social, economic and political justice to every institution of national life.

- **अनुच्छेद 38(2) / Article 38(2)**

- राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा।
State will try to eliminate inequalities in income, status, facilities and opportunities.

- **अनुच्छेद 39** – राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व

Article 39 - Certain principles of policy to be followed by the State.

- a - पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।
(रोजगार का समान अवसर)
a - Right of all citizens, male and female, to get adequate means of livelihood.
(Equal opportunity of Employment)
- b - समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण व स्वामित्व। (राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार करेगा कि सभी के हितों की पूर्ति हो सके)
b - Fair distribution and ownership of the material resources of the community. (Physical resources should be distributed in such a manner that all the sections of society are benefited)
- c - उत्पादन के साधनों का विकेन्द्रीकरण। (राज्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेन्द्रण न हो)
c - Decentralization of the means of production (Management of economy should be in such a manner that there should be no centralization of wealth and means of productions)
- d - स्त्री-पुरुषों को समान कार्य का समान वेतन।
d - Equal pay/wages for equal work for men and women.
- e- पुरुष और स्त्री कर्मकार के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो इनके आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।
e - The health and strength of male and female worker and the tender age of children should not be abused and citizens should not be forced by necessity to take up employment which is not suitable to their age and strength.

- f- बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ। बच्चों और अल्पवय्य व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और भौतिक परित्याग से रक्षा करना।

f- Children should be given opportunities and facilities for healthy development in a free and dignified environment. To protect children and underprivileged persons from exploitation and from moral and material abandonment.

- 42वाँ संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।

It was added by the 42nd Constitutional Amendment in 1976

➤ अनुच्छेद / Article 39(A) –

- समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े।
Equal justice and free legal aid, so that the poor do not have to suffer injustice.

➤ अनुच्छेद 40 / Article 40 –

- ग्राम पंचायतों (पंचायती राज संस्थाओं) का गठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए कुछ शक्तियाँ व प्राधिकार देना।
Establishment of village panchayats (pnachayati raj institutions) and give them some powers and authority to function as units of self-governance.

➤ अनुच्छेद 41 / Article 41 –

- कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
Right to work, education and public assistance in certain cases.
- यह अधिकार राज्य द्वारा सुनिश्चित किए जाएँगे।
These rights will be ensured by the state.
- कुछ दशाएँ – बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, आसक्तता।
Some conditions - old age, unemployment, sickness, addiction.

➤ अनुच्छेद 42 / Article 42 –

- कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
Provision of just and humane conditions of work and maternity relief.

➤ अनुच्छेद 43 / Article 43 –

- कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास
Living wages for workers and development of cottage industries.

➤ अनुच्छेद / Article 43(A) –

- उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना।
Participation of workers in the management of industries.
- 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।
Added by the 42nd Constitutional Amendment in 1976.

➤ अनुच्छेद / Article 43(B) –

- सहकारी समितियों का उन्नयन
Promotion of cooperative societies
- 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया।
Added by the 97th Constitutional Amendment 2011.

➤ अनुच्छेद / Article 44 –

- नागरिकों के लिए एक समान सिविल नागरिक संहिता।
Uniform civil code for citizens.
- उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य जहाँ समान सिविल नागरिक संहिता लागू हुई। (जनवरी, 2025)
Uttarakhand is the first state in the country where Uniform Civil Code was implemented. (January, 2025)
- गोवा में 1867 में पुर्तगालियों द्वारा समान सिविल नागरिक संहिता बनाई गई थी जिसे आजादी के बाद भी नहीं बदला और वह वर्तमान में भी लागू है।
Uniform Civil Code was made by the Portuguese in Goa in 1867 which was not changed even after independence and is still in force.

➤ अनुच्छेद / Article 45 –

- प्रारंभिक शैशव अवस्था की देख-रेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान।
Provision for early childhood care and education of children below the age of 6 years.

➤ अनुच्छेद / Article 46 –

- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
To promote the educational and economic interests of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections and to ensure social justice.

➤ अनुच्छेद / Article 47 –

- पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना।
To raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.
- मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा।
It shall be the primary duty of the State to prohibit the use of intoxicants.

➤ अनुच्छेद / Article 48 –

- कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना (आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार)
To organize agriculture and animal husbandry (according to modern scientific methods)
- गाय-बछड़े तथा अन्य दुधारू व वाहक पशुओं की नस्ल में सुधार करना तथा उनके वध का प्रतिषेध करना। इसके लिए राज्य कदम उठाएगा।

To improve the breed of cows, calves and other milch and draught animals and to prohibit their slaughter. The state will take steps for this.

➤ अनुच्छेद / Article 48(A) –

- पर्यावरण का संरक्षण और संवर्द्धन। / To protect and improve the environment.
- वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। / To safeguard forests and wildlife.

➤ अनुच्छेद / Article 49 –

- राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना।
To protect places, monuments and objects of national importance.

➤ अनुच्छेद / Article 50 –

- राज्य, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने हेतु कदम उठाएगा।
The state will take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state.

➤ अनुच्छेद / Article 51 –

- अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
To promote international peace and security.
- राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध।
To maintain just and honourable relations between nations.
- संगठित लोगों द्वारा एक-दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करना।
Foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised people with one another.
- अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना।
To encourage settlement of international disputes through arbitration

❖ DPSP की आलोचना / Criticism of DPSP –

1. न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
Not enforceable by the judiciary.
2. निदेशक तत्व गैर-न्यायिक प्रकृति के हैं अर्थात् इनके उल्लंघन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता।
Directive Principles are 'non-justiciable in nature' which means that one cannot approach court to get them implemented.
3. विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद का कारण बनते हैं।
Causes dispute between legislature and judiciary.
4. यह तत्व नैतिक शिक्षा की तरह है जो निर्देशित तो है लेकिन बाध्य नहीं है।

These principles are like moral education which is directed but not binding.

5. इन तत्वों के कई प्रावधान आज भी लागू नहीं हैं। उदाहरण – समान नागरिक संहिता।
Many provisions of these principles are not applicable even today. Example - Uniform Civil Code.
6. के.टी. शाह के अनुसार “DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करती है।”
According to K.T. Shah, “DPSP is a cheque which the bank pays as per its convenience.”

❖ महत्व के कथन / Important statements –

1. डॉ. अम्बेडकर – “नीति निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये तत्व भारतीय राज व्यवस्था के लक्ष्य ‘आर्थिक लोकतंत्र’ को निर्धारित करते हैं जैसा कि ‘राजनैतिक लोकतंत्र’ में स्पष्ट है।”
Dr. Ambedkar - “The Directive Principles of State Policy have great value. These principles determine the goal of Indian political system, ‘economic democracy’, as is evident in ‘political democracy’.”
2. बी.एन. राव – “DPSP का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है।”
B.N. Rao - “The DPSP has educational importance for the state authorities.”
3. ग्रैनविल ऑस्टिन – निदेशक तत्व सामाजिक क्रान्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम हैं।
Granville Austin – Directive principles are the means to achieve the objectives of social revolution.

❖ DPSP में किए गए संशोधन / Amendments made in DPSP –

- Article 39, 39(A), 43(A), 48(A) - 42nd Constitutional Amendment Act 1976
- Article 38 – 44th Constitutional Amendment Act 1978
- Article 45 – 86th Constitutional Amendment Act 2002
- Article 43(B) – 97th Constitutional Amendment Act 2011

❖ मूल अधिकार बनाम DPSP

Fundamental Rights vs DPSP -

- चंपकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य मामला 1951 –
Champakam Dorairajan vs State of Madras case 1951 -
 - सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि मूल अधिकारों व DPSP के मध्य टकराव होता है तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
SC ruled that if there is any contradiction between Fundamental Rights and Directive Principles then in such cases Fundamental Rights should be given priority.
 - निदेशक तत्वों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।
Fundamental rights cannot be violated for to achieve the objectives of directive principles.
 - DPSP ↓ FR ↑
- 1st संविधान संशोधन अधिनियम 1951 / 1st Constitutional Amendment Act 1951 –
 - इसके द्वारा अनुच्छेद 31(A) और 31(B) को संविधान में जोड़ा गया तथा सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया गया।

By this amendment Articles 31(A) and 31(B) were added to the constitution and it limited the right to property.

- इसके तहत कहा गया कि सामाजिक कल्याण व संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के उद्देश्य से राज्य निजी सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकता है।

It stated that the State can acquire the private property with the objective of public welfare and equitable distribution of resources.

- मूल अधिकारों को सीमित करने वाले ऐसे कानूनों को यदि 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।

If such laws restricting fundamental rights are included in the 9th Schedule, then they cannot be subjected to judicial review.

- DPSP ↑ FR ↓

● 4th संविधान संशोधन अधिनियम 1955 / 4th Constitutional Amendment Act 1955 –

- यदि जनकल्याण के उद्देश्य से राज्य किसी निजी सम्पत्ति का अधिग्रहण करता है तथा इसके लिए क्षतिपूर्ति की जो राशि निर्धारित करता है, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

If the state acquires any private property for the purpose of public welfare and determines the amount of compensation for it, it cannot be challenged in the court.

- राज्य किसी भी निजी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर सकता है।

The state can nationalize any private business.

- उपर्युक्त दोनों संविधान संशोधनों में DPSP को प्राथमिकता दी गई।

DPSP was given priority in both the above mentioned constitutional amendments.

- DPSP के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल अधिकारों में कटौती की गई।

To achieve the objectives of DPSP, the fundamental rights were curtailed.

➤ केरल शिक्षा अधिनियम वाद (1958) / Kerala Education Act Case (1958) –

- इसमें 1st व 4th संविधान संशोधन को चुनौती दी गई।

In this, the 1st and 4th Constitutional Amendments were challenged.

- इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों संविधान संशोधनों को वैध माना।

In this the Supreme Court considered both the constitutional amendments legal.

- इस वाद में भी DPSP का प्रभाव रहा।

DPSP had an influence in this case as well.

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मूल अधिकारों का महत्व नीति निदेशक तत्वों से अधिक है किन्तु मूल अधिकारों के अर्थ और विस्तार को निर्धारित करते समय न्यायालय नीति निदेशक तत्वों की उपेक्षा नहीं करेंगे। इन दोनों का महत्व बनाये रखने के लिए न्यायालय 'समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धान्त' अपनाएंगे।

The court clarified that although the importance of fundamental rights is more than the directive principles, the courts will not ignore the directive principles while determining the meaning and extent of the fundamental rights. To maintain the importance of both, the courts will adopt the 'Doctrine of Harmonious construction/coordinated interpretation'.

➤ **17वाँ संविधान संशोधन 1964 / 17th constitution Amendment 1964**

- इसमें 44 नये अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए जो मूल अधिकारों को सीमित करते थे।
44 new Acts were added in IXth schedule which were restricting the Fundamental Rights.
- किन्तु यदि सरकार किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति देनी होगी।
But if government acquires agricultural land from the farmers, then it has to pay adequate compensation.

➤ **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967) / Golaknath vs State of Punjab Case (1967) —**

- इसमें मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई।
In this, the fundamental rights were given priority.
- उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद किसी भी मूल अधिकार में संशोधन या उसे समाप्त नहीं कर सकती।
The Supreme Court opined that parliament can not amend or abrogate any Fundamental Right.
- DPSP के प्रभाव को कम कर दिया गया।
The effect of DPSP was reduced.

➤ **24वाँ संविधान संशोधन (1971) / 24th Constitutional Amendment (1971) —**

- अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। / Article 13(4) was added.
- DPSP को महत्व दिया गया। / DPSP was given importance.

➤ **25वाँ संविधान संशोधन 1971 / 25th Constitutional Amendment 1971**

- अनुच्छेद 31(c) जोड़ा गया। / Article 31(c) was added.
- DPSP को प्राथमिकता दी गई। / DPSP was given priority.

➤ **केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973) —**

Kesavananda Bharati vs State of Kerala case (1973) -

- DPSP और मूल अधिकार दोनों के महत्व को समझा लेकिन मूल अधिकारों का पलड़ा भारी रखा।
The importance of both DPSP and Fundamental Rights was understood but Fundamental Rights were given more importance.
- क्योंकि इसमें बुनियादी ढाँचे की अवधारणा दी गई।
Because the concept of basic structure was given in it.

➤ **42वाँ संविधान संशोधन 1976 / 42th Constitutional Amendment 1976**

- DPSP को प्राथमिकता दी गई। / DPSP was given priority.

➤ **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला (1980) / Minerva Mills vs Union of India case (1980)**

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार और DPSP एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि दोनों एक-दूसरे के अनुपूरक हैं।
The Supreme Court ruled that Fundamental Rights and DPSP are not opposed to each other but both are complementary to each other.
- दोनों का उद्देश्य एक है। (लोक कल्याण)
The purpose of both is the same. (Public Welfare)
- दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं।
Both are two wheels of the same vehicle.
- इसके बावजूद दोनों के बीच विरोधाभास होता है तो DPSP की तुलना में मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
Even after this, if there is a contradiction between the two, Fundamental Rights are to be given primacy over Directive Principles.
- इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 31(C) के विस्तार को रद्द कर दिया।
In this case, the Supreme Court cancelled the extension of 31(C).

➤ **वर्तमान स्थिति / Current situation –**

- नीति निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकार श्रेष्ठ हैं, लेकिन अनुच्छेद 39(B), 39(C) के DPSP 14 व 19 के मूल अधिकारों से श्रेष्ठ है।
Fundamental Rights are superior to DPSPs. However Directive Principles under Article 39(B) and 39 (C) are superior to Fundamental Rights provided under Article 14 and 19.

DPSP की प्रकृति / Nature of DPSP		
गाँधीवादी / Gandhian	समाजवादी / Socialist	उदारवादी / Liberal
अनुच्छेद / Article – 40	अनुच्छेद / Article – 38	अनुच्छेद / Article – 44
अनुच्छेद / Article – 43	अनुच्छेद / Article – 39	अनुच्छेद / Article – 45
अनुच्छेद / Article – 43(B)	अनुच्छेद / Article – 39(A)	अनुच्छेद / Article – 48
अनुच्छेद / Article – 46	अनुच्छेद / Article – 41	अनुच्छेद / Article – 48(A)
अनुच्छेद / Article – 47	अनुच्छेद / Article – 42	अनुच्छेद / Article – 49
अनुच्छेद / Article – 48	अनुच्छेद / Article – 43	अनुच्छेद / Article – 50
	अनुच्छेद / Article – 43(A)	अनुच्छेद / Article – 51
	अनुच्छेद / Article – 47	